राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4() आयो/आकाशि/विविध/2019/1383 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— महाविद्यालय विकास समिति कोष में वृद्धि करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर विकास को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालय की आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, कक्षा—कक्ष, पुस्तकालय भवन एवं चारदीवारी का निर्माण, खेल मैदान समतलीकरण, स्पोर्टस कोर्ट/कॉम्पलेक्स निर्माण, महाविद्यालयों के भवनों एवं छात्रावासों की मरम्मत, सोलर पैनल, पेयजल व्यवस्था तथा टॉयलेट इत्यादि हेतु उपलब्ध महाविद्यालय विकास समिति कोष में अभिवृद्धि किया जाना अपेक्षित है।

इसके लिये स्थानीय स्तर पर यथासंभव प्रयास करते हुये कृपया क्षेत्र के भामाशाहों/दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करें। इस क्रम में विकास समिति कोष में अपने स्तर पर अधिकतम राशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। निसंदेह आपके सार्थक प्रयत्नों से महाविद्यालय का चहुमुंखी विकास संभव हो सकेगा।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः एफ 4() आयो/आकाशि/विविध/2019/1384 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(आयोजना),